संख्याः 1790 /18(1)/2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 31 जुलाई, 2008

विषयः—12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष, 2008—09 में धनराशि स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत शासकीय/अनावासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 80.05 लाख के 06 कार्यों के सापेक्ष कलेक्ट्रेट देहरादून के नजारत भवन को छोड़कर शेष पाँच कार्यों की प्रस्तावित लागत रू0 31.58 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त रू0 29.86 लाख की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है। एच0एल0सी0 (उच्च स्तरीय समिति) द्वारा अनुमोदित संलग्न विवरणानुसार कुल रू0 29.86 लाख (रूपया उनतीस लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय करने की श्री राज्पाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

2— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किये जाये।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किये जाये।

4– एक सुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण कुछ अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी ।

8– आगणन में जिंन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाल से टैसटिंग कराली जाय, तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामाग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10– जी0पी0ए0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा निश्चित समय में कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– कार्यालय के निर्माण हेतु विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एंव नार्मस के अनुसार गठित किया जाय एवं उसकी सूचना शासन को भी दी जायेगी।

12– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/XIV-219(2006) दिनांक, 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशो के क्रम कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिचित किया जायेगा।

13– स्वीकृत किये जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2009 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

14 जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संलग्न कार्य योजना के पूर्व में मुख्य राजस्व आयुक्त के स्तर से कोई धनराशि अवमुक्त नही की गयी है।

27

15– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक की अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रख–रखाव तथा मरम्मत–आयोजनेत्तर–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सख्या– 198 NP/XXVII-219(5)/2008 दिनांक 17–07–2008 में प्राप्त उनके सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कूमॉयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
4– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
5– अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– वित्त अनुभाग–5
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।